संख्या 03/2019/सी.पी.10/84-2-2019-रिट 7/97

प्रेषक,

अखंड प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 मार्च 2019

विषय- जिला उपभोक्ता फोरमो में 17 सामान्य सदस्य एवं 22 महिला सदस्य की नियुक्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक10051/एस.सी.डी.आर.सी./अधि.82/16 दिनांक 10 जनवरी 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सिविल अपील संख्या 2740/ 2007 उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य बनाम ऑल यू.पी. कंजूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन में पारित मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2017 के अनुपालन में जिला उपभोक्ता फोरम में 17 सामान्य सदस्य तथा 22 महिला सदस्यों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उक्त के संबंध में उल्लिखित है कि उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2 की अधिसूचना 24/2016/सी.पी.731/84-2-2016-सी.पी.7/2016 दिनांक 5 दिसंबर 2016 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरमो में रिक्त पदों पर 17 सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) एवं 22 महिला सदस्यों (पूर्णकालिक) को नियुक्त किया गया था । सिविल अपील संख्या 2740/2007 स्टेट ऑफ यू.पी. तथा अन्य बनाम ऑल यू.पी. कंजूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2016 के अनुपालन में एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा विभिन्न 9 बिंदुओं- राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला फोरम के गैर न्यायिक सदस्यों की पात्रता की शर्तें, वेतनमान, सेवा शर्तें अपेक्षित न्यूनतम स्टाफ के लिए अलग संवर्ग सृजित करने एवं उन्हें अधिक प्रभावी एवं कार्यकुशल तथा उनकी प्रक्रिया को तीव्र बनाने आदि पर अपनी संस्तुतियां देनी थी । समिति द्वारा अन्य संस्तुतियो के साथ जिला उपभोक्ता फोरम के संबंध में निम्न संस्तुति की गई थी -

"The process of selection of President and Members of different Fora lacks transparency particularly in respect of District Forums. We have perused minutes of the Selection Committees in the several States. There is no even slightest mention about criteria fixed for selection. The candidates applying for various posts should be required to undergo written test particularly in respect of Consumer Protection related aspects.

समिति की संस्तुतियों पर मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार करते हुए दिनांक 21 नवंबर 2016 को पारित किए गए आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

(1) The Union Government shall for the purpose of ensuring uniformity in the exercise of the rule making power under Section 10 (3) and Section 16 (2) of the Consumer Protection Act, 1986 frame model rules for adoption by the state governments. The model rules shall be framed within 4 months and shall be submitted to this court for its approval;

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) The Union Government shall also frame within four months model rules prescribing objective norms for implementing the provisions of Section 10(1)(b), Section 16 (1)(b) and Section 20 (1) (b) in regard to the appointment of the members respectively of the District Fora, State Commissions and National Commission;

(3) The Union Government shall while framing the model rules have due regard to the formulation of objective norms for the assessment of the ability, knowledge and experience required to be possessed by the members of the respective fora in the domain areas referred to in the statutory provisions mentioned above.The model rules shall provide for the payment of salary, allowances and for the conditions of service of the members of the consumer fora commensurate with the nature of adjudicatory duties and the need to attract suitable talent to the adjudicating bodies.These rules shall be finalized upon due Consultation with the President of the National Consumer Disputes Redressal Commission, within the period stipulated above;

(4) Upon the approval of the model rules by this Court , the state governments shall proceed to adopt the model rules by the framing appropriate rules in the exercise of the rule making powers under Section 30 of the Consumer Protection Act 1986;

उक्त के साथ ही मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि-

"The Selection of persons as presiding officers and as members of the fora lacks transparency without a fixed criteria for selection. The Committee has, in our view with justification, proposed that a written test should be conducted to assess the knowledge of persons who apply for posts in the district fora. Issues of conflict of interest also arise when persons appointed from a local area are appointed to a district forum in the same area."

"Since the recommendations have been made after a detailed inspection and in the interests of facilitating a proper implementation of the provisions of the Act, we hereby direct each of the state governments concerned to implement the recommendations of the Committee within a period of three months. The Secretary to the Committee is requested to forward a copy of this order to the Chief Secretaries concerned to secure compliance as directed."

3- जिला उपभोक्ता फोरमो में रिक्त पदों पर 17 सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) एवं 22 महिला सदस्यों (पूर्णकालिक) की नियुक्ति के संबंध में श्री कमलेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, वरिष्ठ सलाहकार एस.सी.ए.सी.,मा. उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार उपभोक्ता मामले के पत्र दिनांक 9 दिसंबर 2016 द्वारा अवगत कराया गया कि समिति द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2016 को प्रदेश भ्रमण किया गया और अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तर प्रदेश एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जिला फोरम के सदस्यों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया के संबंध में यह आश्वासन दिया गया था कि चयन समिति सदस्यों की चयन प्रक्रिया के संबंध में उचित टेस्ट एवं इंटरव्यू की प्रक्रिया अपनाई जाएगी परंतु इसका अनुपालन नहीं किया गया, अतः मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा गंभीर रुख अपनाते हुए सदस्यों के नियुक्ति को अगले आदेश तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए गए । तत्क्रम में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2 के आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2017 द्वारा उक्त 39 सदस्यों की नियुक्ति को स्थगित रखा गया है ।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016 में विभिन्न जिला फोरमो में सदस्यों के चयन में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसमें मा. उच्चतम न्यायालय के अनुपालन में गठित समिति की संस्तुतियों एवं मा. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21 नवंबर 2016 के आदेशों के अनुपालन न किए जाने के कारण ही शासनादेश 27 अप्रैल 2017 द्वारा इसे स्थगित किया गया है । मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित समिति का कार्य समाप्त हो जाने के कारण समिति की संस्तुतियां समाप्त नहीं हुई है क्योंकि उक्त समिति मा. उच्चतम न्यायालय की अधिकारितायुक्त है । मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18 मई 2018 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल रूल्स को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सरंक्षण (14 वां) संसोधन नियमावली 2019 प्रख्यापित की गई है । मा. उच्चतम न्यायालय के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदेश का अनुपालन तभी संभव हो सकेगा जब उक्त चयन की कार्यवाही/निर्गत अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर 2016 को निरस्त कर मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित मॉडल रूल्स, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी 2019 निर्गत की गई है, के अनुसार ही राज्य/जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/ सदस्यों की चयन की कार्यवाही की जाए । अतः श्री राज्यपाल अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर 2016 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरमो में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किए गए 17 सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) एवं 22 महिला सदस्यों (पूर्णकालिक) की नियुक्ति, जिसे शासनादेश संख्या सी.पी. 135/84-2-2017-रिट 7/97 दिनांक 27 अप्रैल 2017 द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित समिति के अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है, को निरस्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

भवदीय,

(अखंड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या 03/ 2019/ सी.पी.10(1)/84-2-2019-रिट 7/97 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली ।

(2) महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(3) श्री कमलेश कुमार,सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, वरिष्ठ सलाहकार एस.सी.ए.सी.,मा. उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार उपभोक्ता मामले,नई दिल्ली ।

(4) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

(5) निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली ।

(6) जिलाधिकारी अलीगढ़, एटा, हाथरस, सहारनपुर, इलाहाबाद, कौशांबी, बरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, बांदा, महोबा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, भदोही, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, गाजीपुर, कन्नौज, कासगंज उ0प्र0 (द्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग)

(7) जनपदीय कोषाधिकारी अलीगढ़, एटा, हाथरस, सहारनपुर, इलाहाबाद, कौशांबी, बरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, बांदा, महोबा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, भदोही, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, गाजीपुर, कन्नौज, कासगंज (द्वारा निबंधक,राज्य उपभोक्ता आयोग)

(8) संबंधित 39 अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनियों को (द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता आयोग)

(9) संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम अलीगढ़, एटा, हाथरस, सहारनपुर, इलाहाबाद, कौशांबी, बरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, बांदा, महोबा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर,जालौन,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, भदोही, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, गाजीपुर, कन्नौज, कासगंज (द्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग)

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।